



योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

क्र. 510 / 2015 / रा.यो.आ. / वि.नि. /

भोपाल, दिनांक: 30/6/15

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना (Decentralized and Integrated District Planning) वर्ष 2016-17 तैयार करने बाबत।

प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए योजना में जन-सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली वर्तमान की आवश्यकता है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्व-शासन की इकाइयों को संवैधानिक मान्यता देते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना का निर्माण करना है। उक्त प्रक्रिया वर्ष 2010-11 से पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। जिसका श्रेय राज्य की समस्त नियोजन इकाइयों व विभागीय प्रयासों को जाता है।

वर्ष 2016-17 के लिए समस्त जिलों द्वारा जिला योजना बनाई जानी है। इस संबंध में जिला योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन वर्ष 2016-17 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यक होने पर नवीन कार्यों को सम्मिलित किया जाये। विगत वर्षों में विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन के लिए अपनाई गई मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये जिले का विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना प्रस्ताव तैयार किया जाये।


पूर्व वर्ष की भांति जिलों की योजना सीमा का निर्धारण समुदाय द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं एवं विभागीय रिस्पांस प्लान को दृष्टिगत रखते हुये ही किया जायेगा। अतः इस प्रक्रिया को गंभीरता के साथ क्रियान्वित करने की अपेक्षा है। विगत वर्षों के अनुभवों को शामिल करते हुये प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाये :-

1. वर्ष 2015-16 में ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत स्वीकृत किये गये समस्त कार्यों का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी नियमित समीक्षा करें।
2. प्रत्येक जिले का क्षमतावर्धन कार्यक्रम, आईईसी/जागरुकता कार्यक्रम तथा समयसंरणी अग्रिम रूप में तैयार कर क्रियान्वयन आरंभ करें।

3. विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अनुसार विभिन्न स्तरों पर पृथक-पृथक श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि के लिए उद्देश्य अनुसार पृथक-पृथक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाये।
4. जिले के अंतर्गत गठित तकनीकी सहायता दलों एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स एवं तकनीकी सहयोग संस्थाओं-स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त डाटा की गुणवत्ता के लिए नियोजन प्रपत्र सावधानीपूर्वक भरे जायें जैसे गतिविधि की इकाई, इकाई लागत, संबंधित योजना/क्षेत्रक से चिन्हांकित/लिंक करना आदि। साथ ही साफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि का कार्य भी त्रुटि रहित हो, सुनिश्चित करें।
6. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी (Common Resource Property) के विकास एवं संवर्धन हेतु परियोजनायें, जिला योजना प्रक्रिया में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये।
7. ग्राम/वार्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. "विकेन्द्रीकृत योजना सुदृढीकरण मद" की राशि का उपयोग प्रशिक्षण तथा पुनरीक्षित वित्तीय प्रावधान अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु आवश्यक होने पर मांगपत्र राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें।


जिला विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया को जिले में सुचारु रूप से संचालित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः निर्धारित मानक प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत स्तर/ नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर एकीकृत करते हुए "समेकित जिला योजना" प्रारूप तैयार करें और निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूर्ण कर तथा साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर दिनांक 15 सितम्बर 2015 तक राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें। जिलों की एकीकृत जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जायेगा। विश्वास है कि, वर्ष 2016-17 की विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण बनेगी। इस संबंध में यदि सहयोग की आवश्यकता हो तो राज्य योजना आयोग के दूरभाष क्र. 0755-4093743 पर संपर्क किया जा सकता है।

- संलग्न : 1. अनुलग्नक-1 जिला योजना तैयार करने हेतु मानक प्रक्रिया।
2. अनुलग्नक-2 विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2016-17 हेतु कार्यक्रम एवं समय सारणी।
3. अनुलग्नक-3 पुनरीक्षित वित्तीय प्रावधान।


 (अजिता बाजपयी पाण्डे)
 अपर मुख्य सचिव
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
 मध्यप्रदेश शासन

प्रतिलिपि:

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य योजना आयोग, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. पी.ए. टू समस्त माननीय प्रभारी मंत्री, जिला....., मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. समस्त अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत..... जिला.....
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला.....।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. समस्त आयुक्त संभाग
7. समस्त विभागाध्यक्ष विभाग, भोपाल की ओर लेख है कि कृपया संबंधित विभाग को अपने स्तर से भी निर्देश जारी करें।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
9. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय..... संभाग।
10. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
12. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
13. चयनित तकनीकी सहायता संस्थान,।
14. स्वैच्छिक संस्थान..... मध्यप्रदेश।
15. समस्त अधिकारी राज्य योजना आयोग।


29/06/15
उप सचिव
राज्य योजना आयोग,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

